न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : जगमोहन सिंह, RAS
अपील संख्या : 10/2016 (2016/00008) डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक : 28/03/2016

श्री जसपाल सिंह पिता प्रवीणसिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री वीरभद्र सिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती मोहन कुंवर पिता शंभूसिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती मदन कुंवर पिता शंभूसिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
4. श्री भुपेन्द्र सिंह पिता प्रवीण सिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
5. श्री शंभू सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत मृतक के बजाय
   5/1 प्रवीण सिंह पिता शंभू सिंह जाति राजपूत निवासी मांडव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
6. ग्राम पंचायत माण्डव तहसील सागवाडा
7. पटवारी, पटवारी हल्का, माण्डल तहसील सागवाड़ा
8. तहसीलदार, सागवाड़ा

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थितः—
श्री संजय सेन : अधिवक्ता अपीलान्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा के निर्णय दिनांक 10.06.2015

निर्णय

दिनांक : 19.12.2018

अपीलार्थी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा के

निर्णय दिनांक 10–6–2015 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार है।

अपील में अंकित किया कि राजस्व ग्राम माण्डव, पटवारी हल्का माण्डव तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर की आराजी नम्बर 696, 700, 701, 995, 996, 997 कुल कीता 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा संपूर्ण एवं आराजी नम्बर 682, 703 कुल कीता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा का 1/2 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 705 कीता 1 आ. चा. रकबा 2 बिस्वा का 4/9 हिस्सा को खातेदार शंभू सिंह पिता लालसिंह निवासी माण्डव तहसील सागवाडा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8.7.2011 से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 भूपेन्द्र सिंह को विक्रय किया गया था, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.7.2011 के आधार पर ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1153 दिनांक 20.07.2011 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट सं. 4 के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, जिसकी बेरून मियाद अपील बिना अधिकार के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तकरण में कोई कानूनी त्रुटि कारित नहीं की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में उक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य होना, उक्त नामान्तकरण के आधार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होना, वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने बाबत् कोई दस्तावेज नहीं होना, अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने पर भी एवं अपील बेयन मियाद होने पर भी मयाद के बिन्दु को तय किये बिना निर्णय पारित करना, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक स्वीकृत नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित कर निर्णय पारित किया जाना जबकि नामान्तकरण बिकाव के आधार पर स्वीकृत होना, रेस्पोडेंट संख्या 5 शंभूसिंह पिता लालसिंह की मृत्यु दिनांक 31.5.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.6.2015 के पूर्व ही हो गयी थी फिर भी निर्णय विधि विरूद्ध पारित होना, शंभूसिंह मृतक के विधिक वारिसान उनके पुत्र प्रवीण सिंह को रेस्पोंडेंट

संख्या 5/1 बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायलय में अपील के निर्णय की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने तथा निर्णय दिनांक 10.6.2015 की सूचना दिनांक 9.3.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 1 वीरभद्र सिंह ने मौके पर कब्जा खाली कराने के समय जानकारी मिलने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्टस की ओर से पक्षकार एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.11.2018 को अपीलान्ट अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.06.2015 को अपास्त किया जाये।

अपीलान्ट अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक निर्णयों का ससम्मान पठन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 10.06.2015 में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति में से अपने हिस्से की वसीयत या बेचान का अधिकार है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा नियमानुसार 1/6 होता है। जो लगभग 2 बीघा 1 बिस्वा होता है, जबकि बेचान कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का किया गया है। क्रेता प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण सं. 3 के पुत्र के पुत्र है। अतः वे भी पैतृक सम्पत्ति में 1/6 हिस्से के हकदार है। परन्तु वादग्रस्त आराजी का उनका हिस्सा उन्हें विरासत से प्राप्त होना है बेचान से नहीं। अतः प्रतिवादी सं. 3 द्वारा पैतृक सम्पति में अपने हिस्से से अधिक का विक्रय वैध नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपना हिस्सा 1/6 ही विक्रय किया जा सकता है तथा शेष 1/6 हिस्सा जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में आता है वह विरासत अथवा वसीयत से ही प्राप्त होना संभव है। अतः नामान्तरण सं. 1153 दिनांक 20.07.2011 ग्राम पंचायत माण्डव निरस्त किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अभिभाषक अपीलान्ट की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों तथा दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ

न्यायालय के उक्त निर्णय अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट, 1956 के अंतर्गत दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत माण्डव द्वारा नामान्तरण सं.1153 दिनांक 20.07.2011 पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर खोला गया है न कि विरासत अथवा वसीयत के आधार पर। अतः आधार दस्तावेज के अनुसार पंजीकृत विक्रय–पत्र का निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाना चाहिये एवं बंटवारे से खातेदारी हक प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद दायर किया जाना उचित प्रतीत होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी की जाकर निर्णय दिनांक 10.06.2015 पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

अत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2015 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(जगमोहन सिंह)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर